भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3590
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह

3590. **श्री मोहम्मद हनीफ़ाः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र और आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह परिचालित हैं;
(ख) संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में विगत तीन वर्षों के दौरान खोले गए नए आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक में वृद्धि किए जाने की मांग पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): देश भर में परिचालित आंगनवाड़ी केंद्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक I में दिया गया है। देश भर में अनुमोदित और परिचालित आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृहों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक II में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई नया आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत नहीं किया गया है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 28.02.2025 तक कुल 6 आंगनवाड़ी-सह-शिशु गृह को अनुमोदित किया गया है और वो सभी परिचालित हैं।

(ग): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और आयोजन के लिए जिम्मेदार है तथा राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को मानदेय प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिभाषित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 4,500/- रुपये प्रति माह, मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 3,500/- रुपये प्रति माह एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2,250/- रुपये प्रति माह की दर से निधि जारी करती है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह का कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं जो राज्य-दर-राज्य अलग-अलग है।

*****

अनुलग्नक I

"आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह" के संबंध में दिनांक 21.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3590 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत परिचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	55608
2	अरुणाचल प्रदेश	6233
3	असम	61891
4	बिहार	115017
5	छत्तीसगढ़	52156
6	गोवा	1261
7	गुजरात	53065
8	हरियाणा	25964
9	हिमाचल प्रदेश	18925
10	झारखंड	38515
11	कर्नाटक	69899
12	केरल	33120
13	मध्य प्रदेश	97329
14	महाराष्ट्र	110584
15	मणिपुर	11523
16	मेघालय	6084
17	मिजोरम	2244
18	नागालैंड	3980
19	ओडिशा	74186
20	पंजाब	27313
21	राजस्थान	61924
22	सिक्किम	1308
23	तमिलनाडु	54449
24	तेलंगाना	35692
25	त्रिपुरा	10210
26	उत्तर प्रदेश	189140

27	उत्तराखंड	20049
28	पश्चिम बंगाल	119481
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	720
30	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	405
31	दिल्ली	10900
32	जम्मू एवं कश्मीर	28179
33	लद्दाख	1172
34	लक्षद्वीप	59
35	पुदुचेरी	855
36	संघ राज्य क्षेत्र-चंडीगढ़	450
	कुल	**1399890**

अनुलग्नक II

"आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह" के संबंध में दिनांक 21.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3590 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(28.02.2025 तक के आंकड़े)

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह (एडब्ल्यूसीसी) की संख्या	परिचालित आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह (एडब्ल्यूसीसी) की संख्या	आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह (एडब्ल्यूसीसी) में लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	108	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	86	-	-
3	असम	500	50	860
4	बिहार	85	72	297
5	छत्तीसगढ़	1,500	175	2200
6	गोवा	9	9	-
7	गुजरात	25	0	-
8	हरियाणा	628	297	5855
9	हिमाचल प्रदेश	152	-	-
10	झारखंड	1,024	-	-
11	कर्नाटक	248	164	3608
12	केरल	504	-	-
13	मध्य प्रदेश	448	-	-
14	महाराष्ट्र	345	-	-
15	मणिपुर	702	-	-
16	मेघालय	84	76	1180
17	मिजोरम	200	200	4334
18	नागालैंड	470	150	3362
19	ओडिशा	1,000	-	-
20	पंजाब	148	-	-
21	राजस्थान	-	-	-
22	सिक्किम	25	17	136
23	तमिलनाडु	600	-	-
24	तेलंगाना	1,033	8	63
25	त्रिपुरा	114	94	1747

26	उत्तर प्रदेश	-	-	-
27	उत्तराखंड	202	32	306
28	पश्चिम बंगाल	10	-	-
29	अंडमान और निकोबार द्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	8	7	52
30	चंडीगढ़	210	200	2893
31	दादरा और एन हवेली और दमन दीव	95	25	614
32	दिल्ली	502	170	1189
33	जम्मू एवं कश्मीर	230	-	-
34	लद्दाख	6	6	87
35	लक्षद्वीप	8	-	-
36	पुदुचेरी	86	9	0
	कुल	**11395**	**1761**	**28783**

*****